PROJECT:

IMPROVED ACCESS TO JUSTICE SYSTEM OF THE POOR AND THE DISADVANTAGED IN RURAL AREAS IN MADHYA PRADESH

Implementing Organisation

Towards Action And Learning

Funded by

United Nations Development Programme

Under the project titled

Strengthened Access to Justice in India (SAJI - I)

Supported by

Ministry of Law and Justice, GoI - Department of Law, GoMP

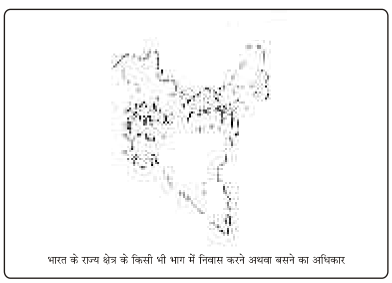

नागरिक अधिकार

दुर्घटना संबंधित

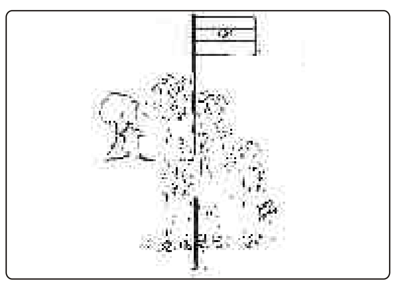

नागरिक कर्त्तव्य

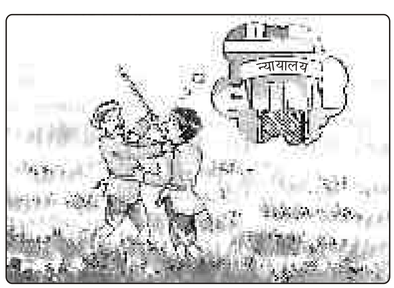

जमीन संबंधित

भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है अथवा जिसके माता या पिता या दोनों का जन्म भारत में हुआ है, वह भारत का नागरिक है.

भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है.

।। भारत के नागरिकों के मूल अधिकार ।।

भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार देता है :

समता का अधिकार

- देश का कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू किया जायेगा तथा सभी लोगों को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा।
- देश में जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार

- भारत के नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का, संघ या समूह बनाने का तथा देश में कहीं भी घूमने का, बसने का और किसी भी प्रकार का पेशा करने की स्वतंत्रता है।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

- छुआछूत, बेगार, मानव शरीर का व्यापार, जबरदस्ती श्रम कराना और बच्चों को फैक्ट्री या जोखिम भरे काम करवाना अपराध माना गया है।

धर्म के पालन की स्वतंत्रता

- भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के पालन की, उसका आचरण करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है।

संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार

- सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का और अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने का अधिकार है।

गिरफ्तारी में संरक्षण का अधिकार

- वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का, अपने वकील से सलाह लेने का और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। साथ-साथ गिरफ्तार हुये व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों को सूचना देने का और कारावास में जाने के बाद उनसे मिलने का अधिकार है।

न्यायालय जाने का अधिकार

- भारतीय नागरिकों को अपने मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिये उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है।

भारत के प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से
अधिक है को मतदान का अधिकार

।। भारत के नागरिकों के मूल अधिकार ।।

भारत के संविधान ने अनुच्छेद 19 में प्रत्येक भारतीय नागरिक को मूल स्वतंत्रताऐं दी हैं। इतना ही नहीं संविधान ने इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रावधान भी किया है।

- ध्यान देने वाली बात यह है कि नागरिक इन स्वतंत्रताओं का उपयोग करते समय सतर्क रहे कि इससे देश की प्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और न्यायालय की अवमानना तो नहीं हो रही है। साथ–साथ इन स्वतंत्रताओं का उपयोग इस प्रकार किया जाये जिससे किसी की मानहानि न हो और शिष्टाचार और जन व्यवस्था बनी रहे।

यह स्वतंत्रताऐं क्या है?

- बोलने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक और बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता
- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता
- भारत के किसी भी भाग में निवास और बस जाने की स्वतंत्रता
- किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार या नौकरी करने की स्वतंत्रता

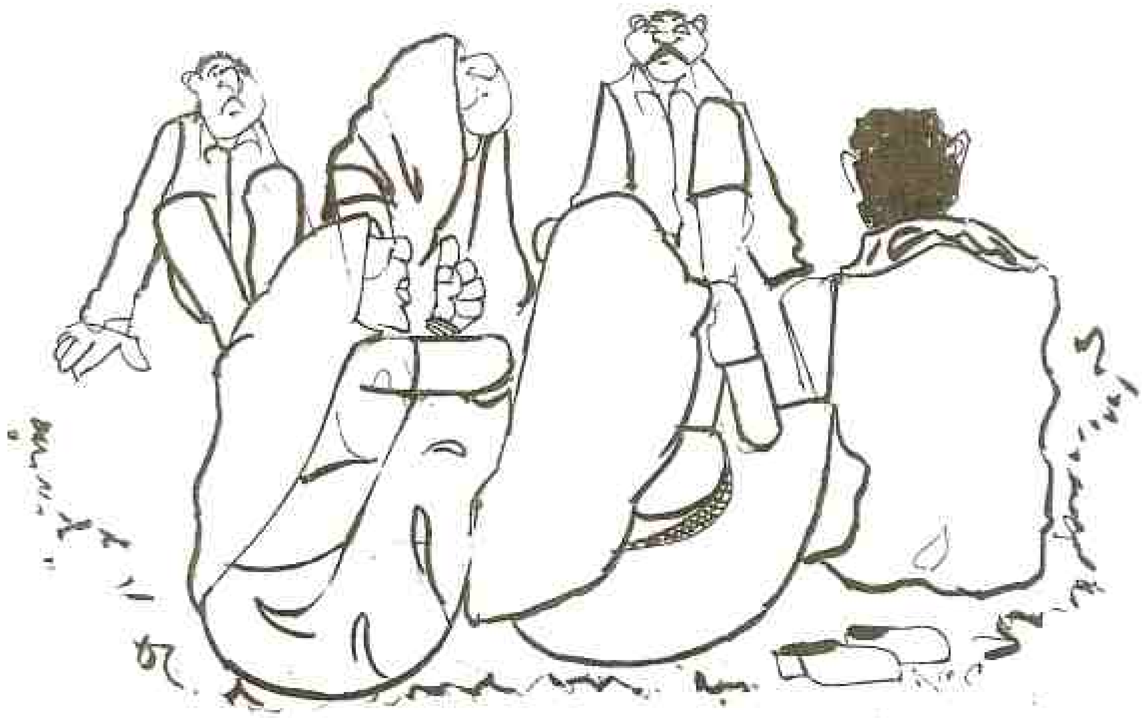

शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता

संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता

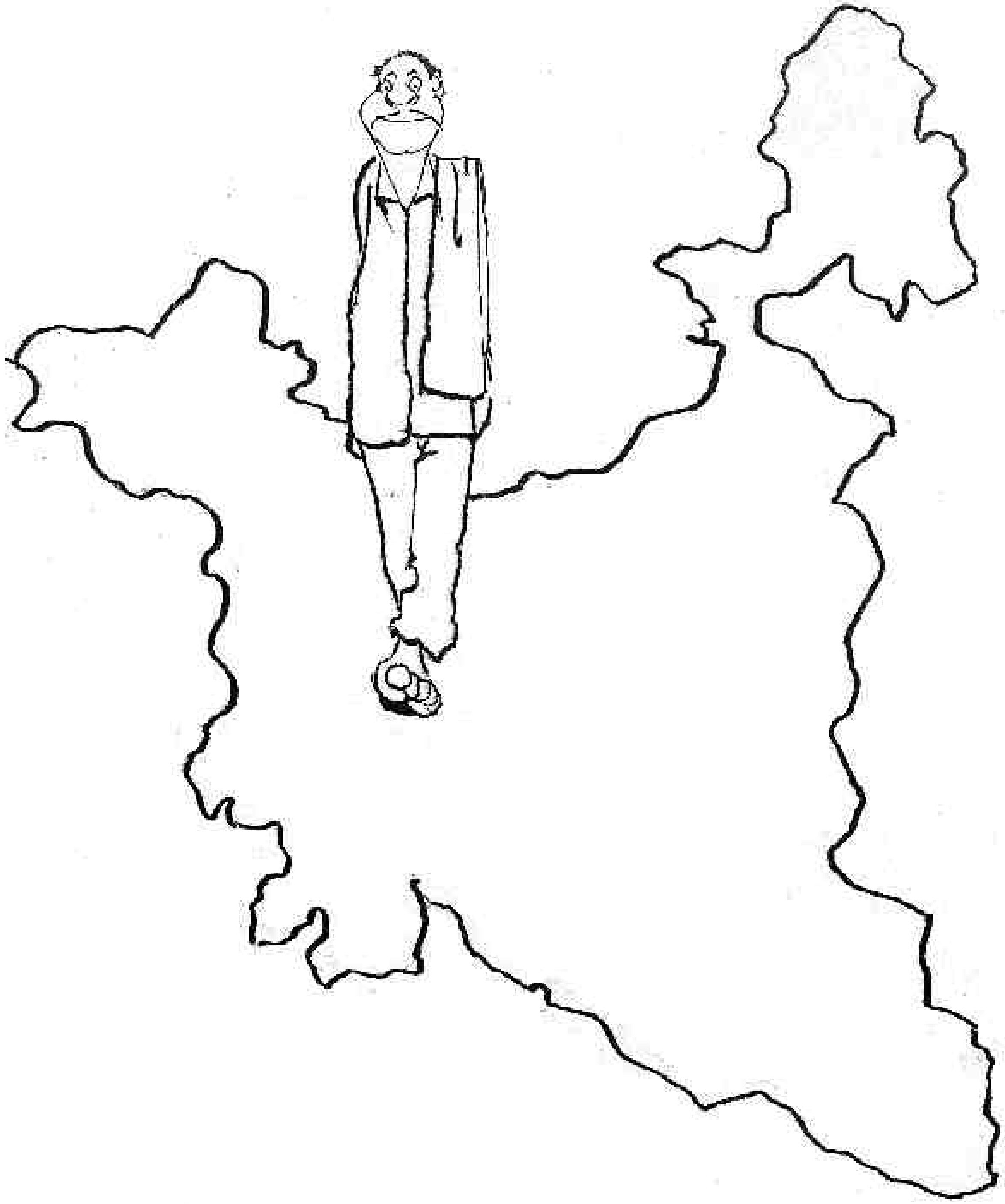

भारत में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक आने जाने का अधिकार

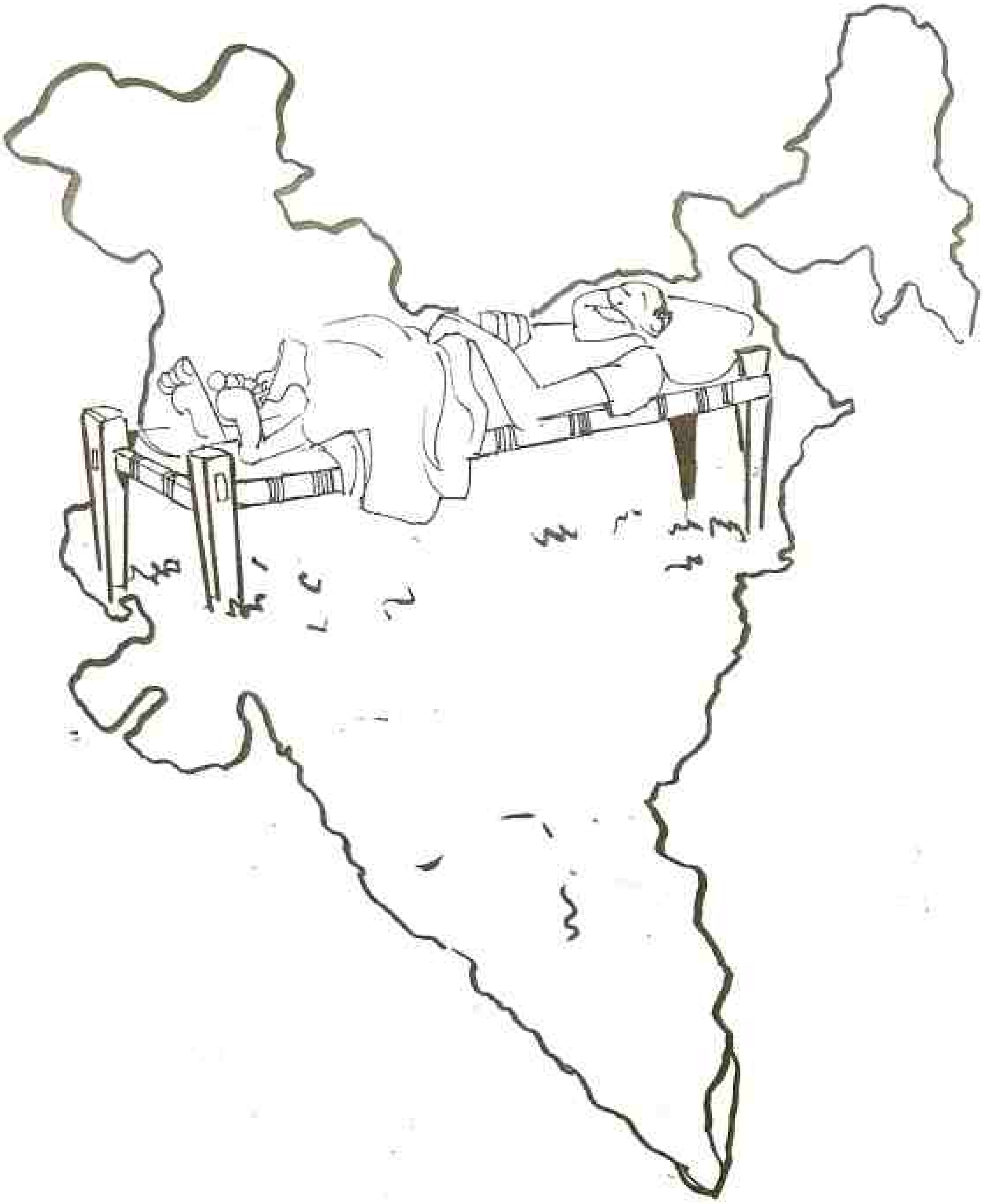

भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने
अथवा बसने का अधिकार

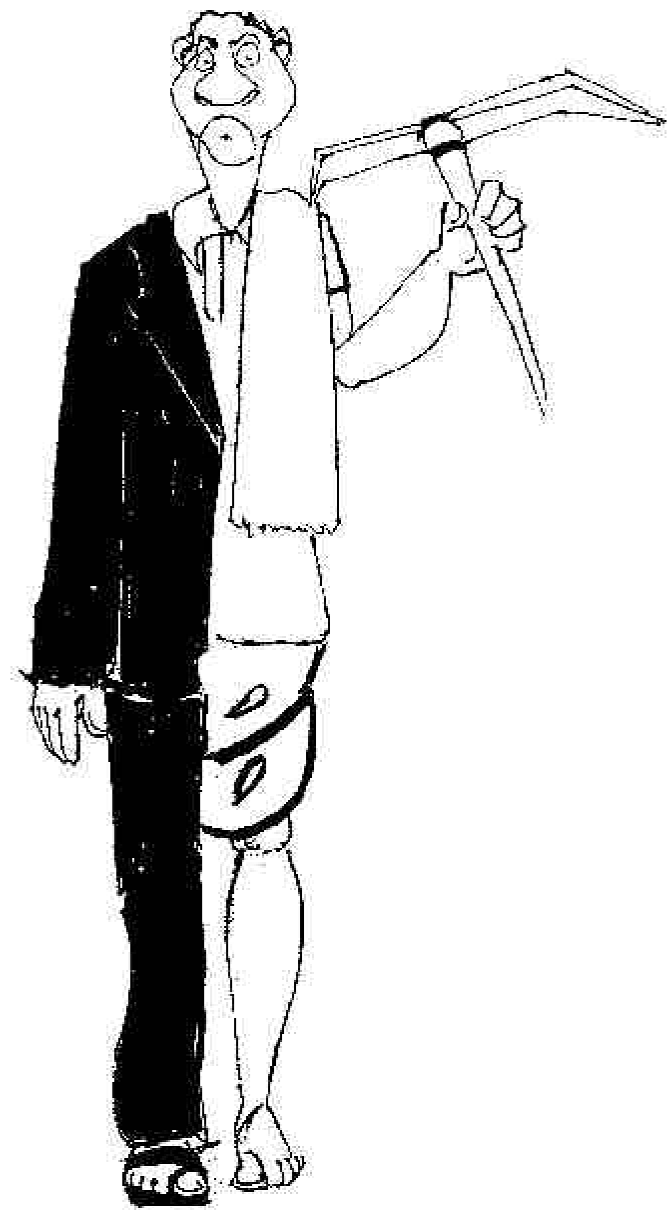

प्रत्येक को नौकरी, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

।। भारत के नागरिकों के कर्त्तव्य ।।

हमें अधिकार मांगते समय अपने कर्त्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिये। यदि हम कर्त्तव्यों को भूल जायेंगे तो दूसरों को कष्ट होगा या उनके अधिकारों पर हम अतिक्रमण करेंगे। इसीलिये हमें अपने निम्नलिखित कर्त्तव्यों की ओर ठीक से ध्यान देना चाहिये।

1. देश के राष्ट्रध्वज तिरंगे झंडे का तथा राष्ट्रगान की इज्जत व सम्मान करना चाहिये।
2. प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा के लिये तत्पर रहना चाहिये।
3. देश में जो कानून, नियम बने तथा लागू है, उन्हें मानें और उनके अनुसार काम करें।
4. देश की सम्पत्ति सबकी सम्पत्ति है, इसीलिये हर व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह इसे नुकसान न पहुँचाये और उसकी रक्षा करे।
5. महिलाओं की प्रतिष्ठा के खिलाफ जितनी भी कुरीतियाँ या कुप्रथायें है, उनका त्याग करना चाहिये।
6. दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोगों से तथा दूसरी जाति व धर्म को मानने वाले लोगों से घृणा या भेदभाव नहीं करना चाहिये।
7. हमें अपने संस्कारों एवं संस्कृति की गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझते हुये अच्छे संस्कार रखना चाहिये एवं अच्छे कार्य करना चाहिये।
8. हम सभी को अपने मोहल्लों, गाँव या शहर की साफ सफाई रखना चाहिये। पेड़-पौधे अधिक से अधिक संख्या में लगा कर स्वच्छ हवा, पानी पाने का प्रयास करना चाहिये। जंगल में रहने वाले मूक प्राणियों का शिकार नहीं करना चाहिये।
9. हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना चाहिये, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

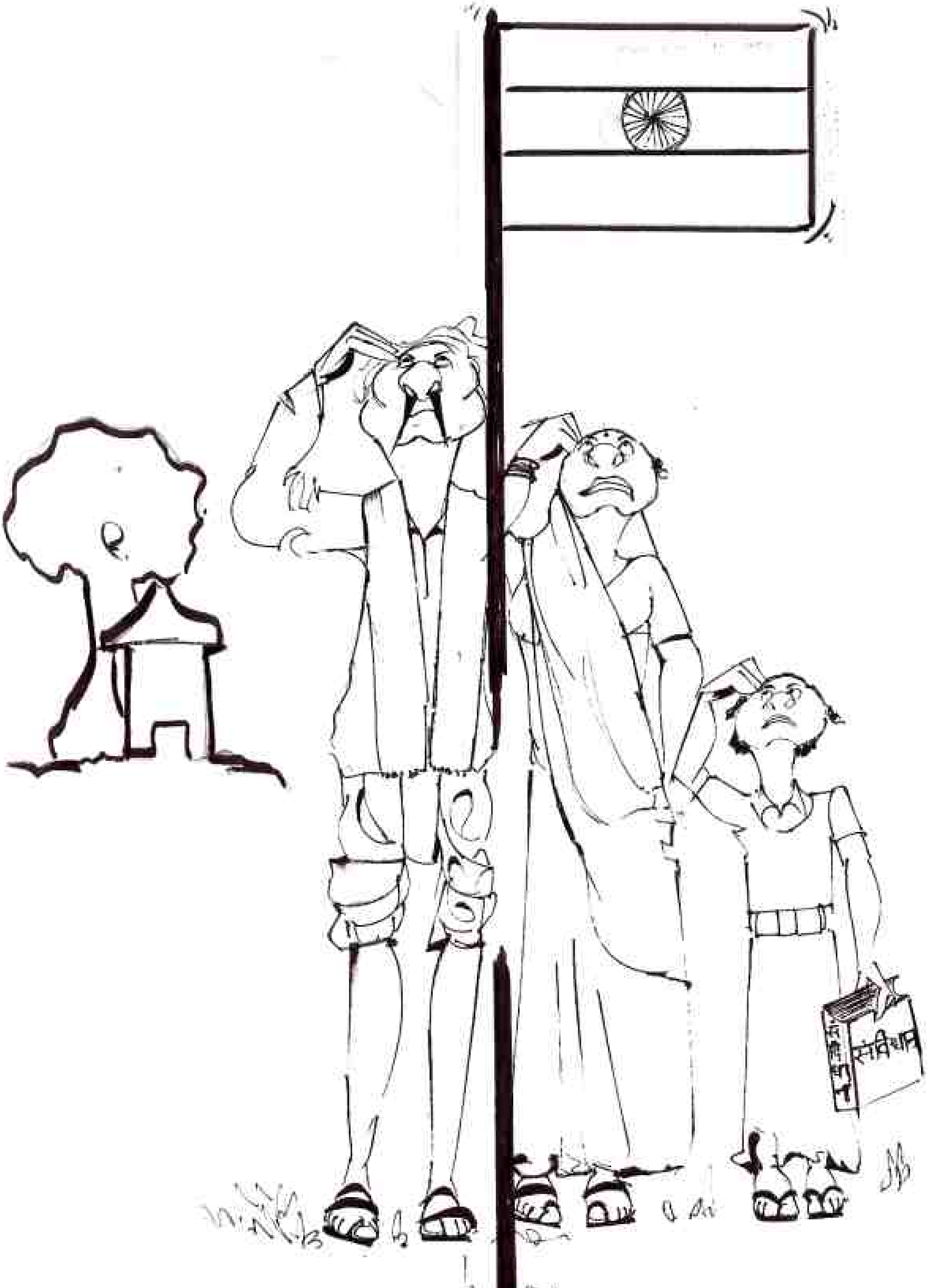

देश के संविधान का सम्मान – हमारा कर्त्तव्य

हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार चलना चाहिये
व राष्ट्रगान एवं तिरंगे का सम्मान करना चाहिये

यदि देश के सामने कोई संकट आता है तो प्रत्येक नागरिक को
देश की रक्षा के लिये तत्पर रहना चाहिये

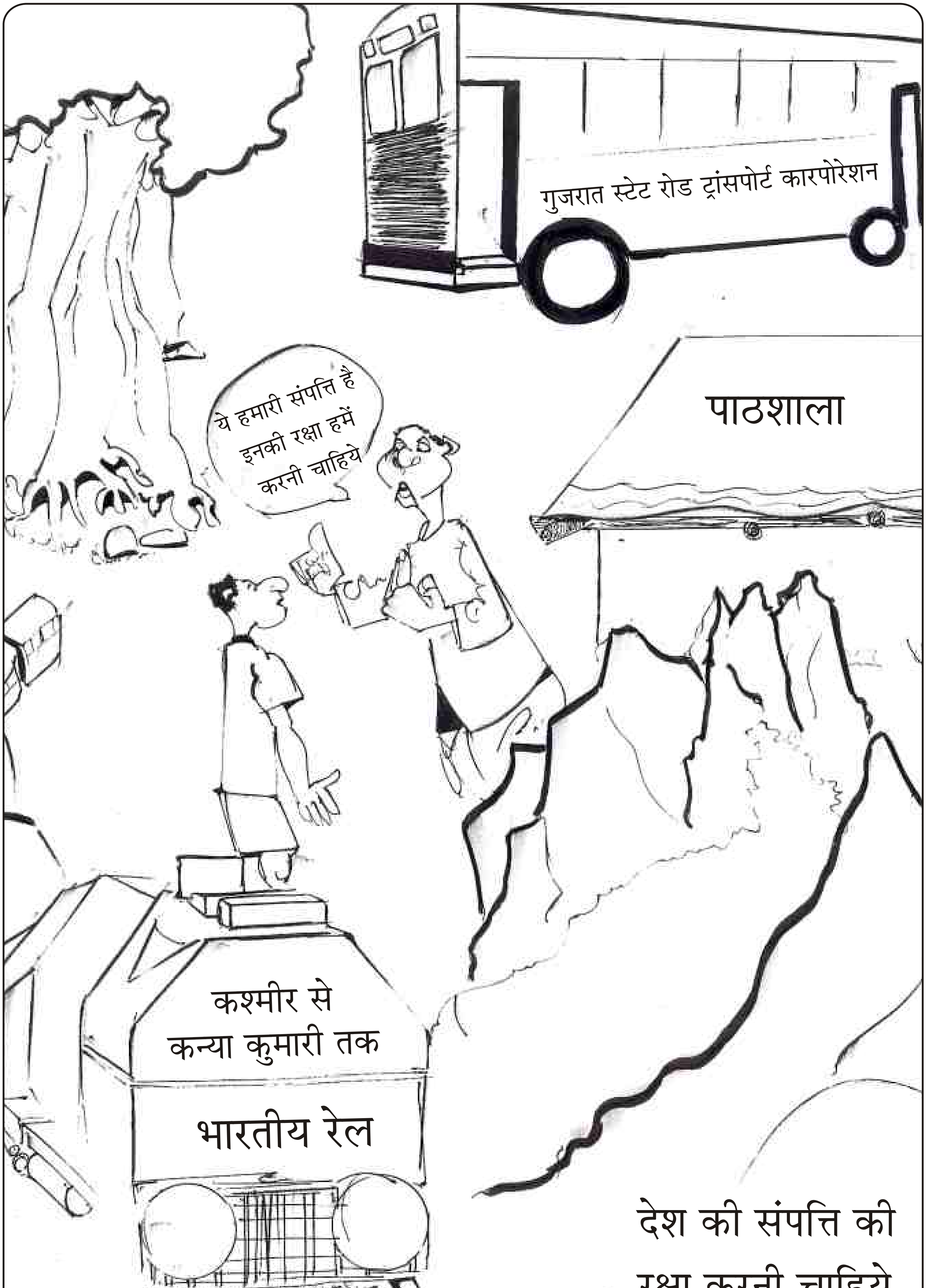
गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन
ये हमारी संपत्ति है इनकी रक्षा हमें करनी चाहिये
पाठशाला
कश्मीर से कन्या कुमारी तक
भारतीय रेल
देश की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिये

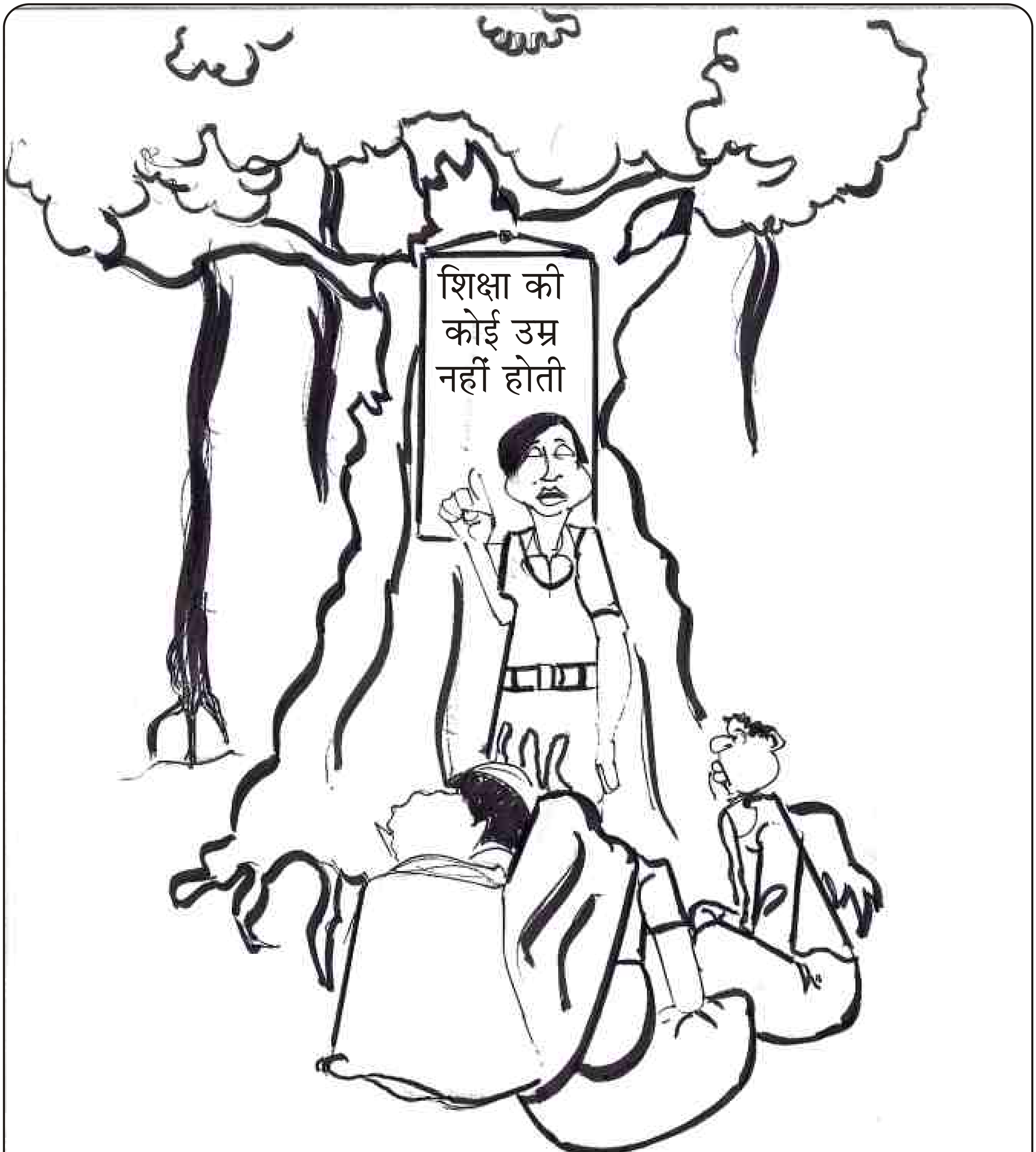

शिक्षा का करें प्रसार ताकि छुये देश उपलब्धियों का आकाश

।। मोटर यान दुर्घटना मामलों में क्षतिपूर्ति ।।

जब दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण मालूम न हो तो

- दुर्घटना किस वाहन से हुई है, और वाहन का नंबर, वाहन मालिक, बीमा कम्पनी, वाहन चालक का नाम–पता आदि मालूम नहीं हो पाने की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के परिवारजनों को रु. 25,000/– और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रु. 12,500/– क्षतिपूर्ति (प्रतिकर) राशि के रूप में दिलाया जाता है।
- इसके लिये कलेक्टर ऑफिस में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ जाँच अधिकारी को आवेदन देना होता है।

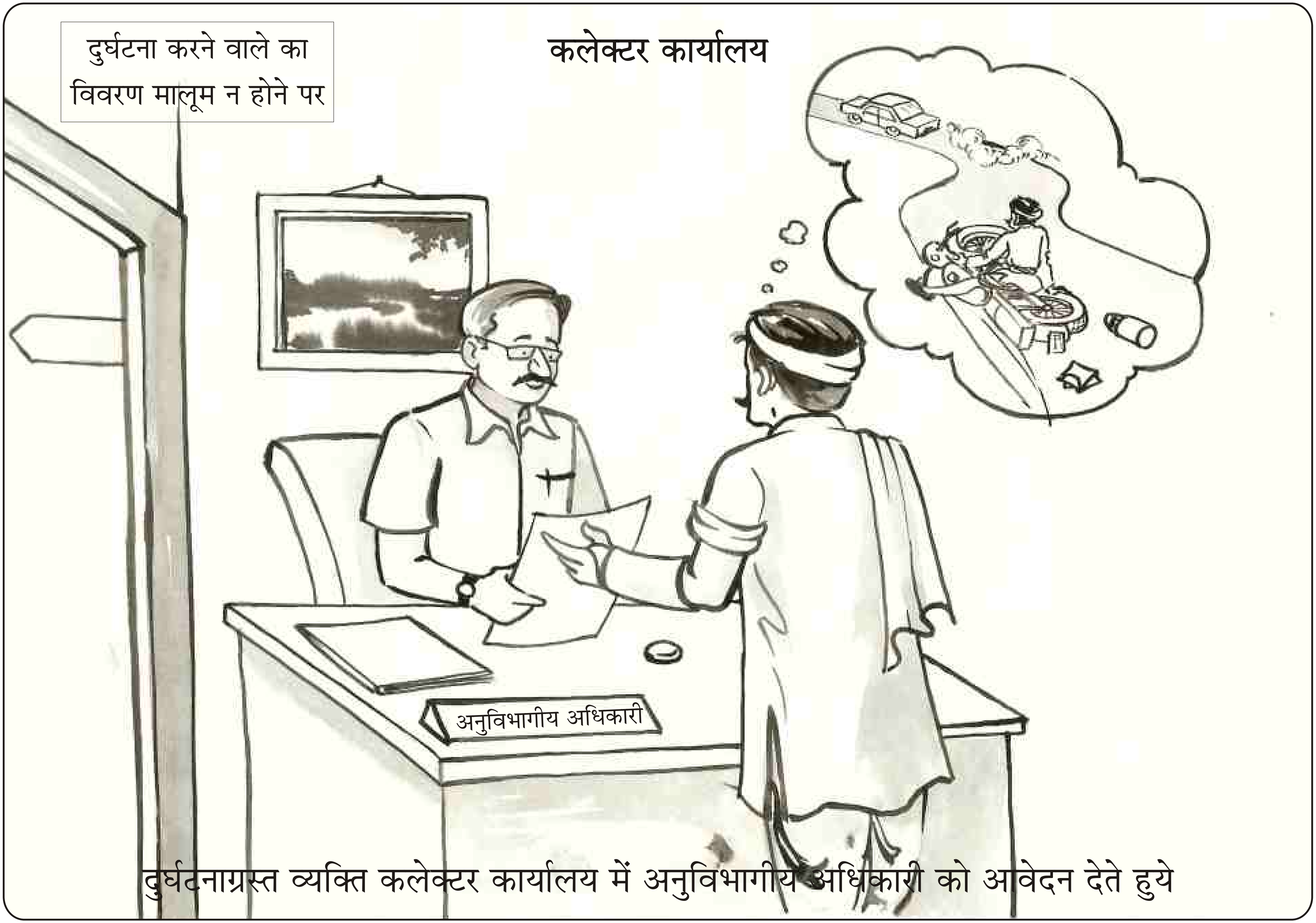
दुर्घटना करने वाले का विवरण मालूम न होने पर
कलेक्टर कार्यालय
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन देते हुये

।। मोटर यान दुर्घटना मामलों में क्षतिपूर्ति ।।

जब दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण मालूम हो तो

- दावा अधिकरण, जो न्यायालय के भवन में ही होता है, में वाहन चालक एवं वाहन की बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति (प्रतिकर) दावा प्रस्तुत किया जाता है।
- ऐसे आवेदन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
- दावा राशि पाने के लिये निम्न विवरण एवं अभिलेखों का होना जरूरी है।
    - दावाकर्त्ता का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, उम्र और व्यवसाय
    - जिनके विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत करना है उनका नाम और पता
    - दुर्घटना की तिथी, समय व स्थान और दुर्घटना किस वाहन ने किया है उसका नम्बर
    - दुर्घटना की थाने में की गयी रिपोर्ट की प्रतिलिपि
    - आवेदक का मृतक से संबंध
    - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि
    - मृतक के आश्रितों के नाम, पते और मृतक से संबंध
    - यदि आवेदक दुर्घटना में घायल हुआ है तो उसे आयी चोटों की जानकारी, डॉक्टर की रिपोर्ट तथा मेडीकल जाँच के पर्चे, दवाई खरीदी के बिल और यदि चोट ऐसी आयी है जिसके कारण किसी तरह की विकलांगता आई है तो मेडीकल बोर्ड का प्रमाण पत्र
    - मांगी गई दावा की धनराशि और उसके लिये जरूरी आधार तथा संबंधित कागजात
- वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी अपंगता या विकलांगता हुई है, वहाँ मृतक के आश्रित या ऐसे विकलांग व्यक्ति को जल्दी से सहायता मिल सके, उसके लिये आवेदन प्रस्तुत होने और दूसरे पक्ष के आने के बाद एक नियत राशि अंतरिम रूप से मिल जाती है। मृत्यु होने पर रु. 50,000/- और स्थायी विकलांग होने पर रु. 25,000/- मिलते है.

दुर्घटना का पूरा और सही विवरण देना चाहिये जिससे क्षतिपूर्ति मिल सके.
चलो थाने! तुमने टक्कर मारी है
थाना शाहगंज
दुर्घटना होने पर अस्पताल में जाँच जरूरी है जिससे चोट की गंभीरता को आंका जा सके.
चलो रिपार्ट तो लिख ली पर डॉक्टरी जाँच भी करवा लो
चोट से काफी दर्द हो रहा है और खून भी बह रहा है
हेड कांस्टिबल

थाना शाहगंज
हेड कांस्टिबल
मुआवजे के आवेदन के लिये पुलिस द्वारा जप्त लिये कागजातों से वाहन चालक/ स्वामी की जानकारी मिल सकती है. इन कागजातों की सत्यप्रतिलिपि पुलिस से मांगे.

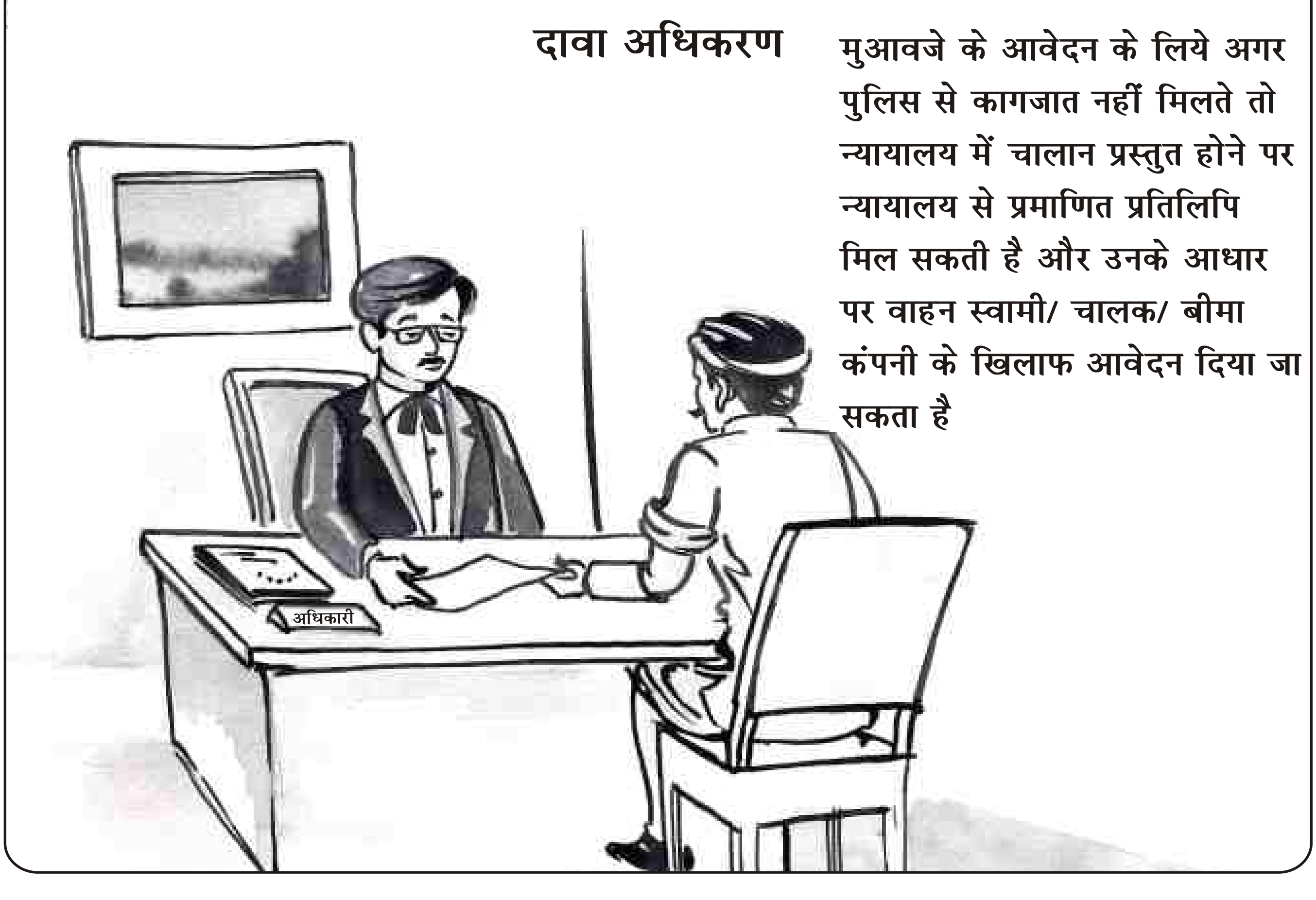
दावा अधिकरण
मुआवजे के आवेदन के लिये अगर पुलिस से कागजात नहीं मिलते तो न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि मिल सकती है और उनके आधार पर वाहन स्वामी/ चालक/ बीमा कंपनी के खिलाफ आवेदन दिया जा सकता है
अधिकारी

भूमि संबंधी विवाद और उनका निबटारा

दो किसानों का आपस में झगड़ा
तथा अदालत में जाने की धमकी
न्यायालय

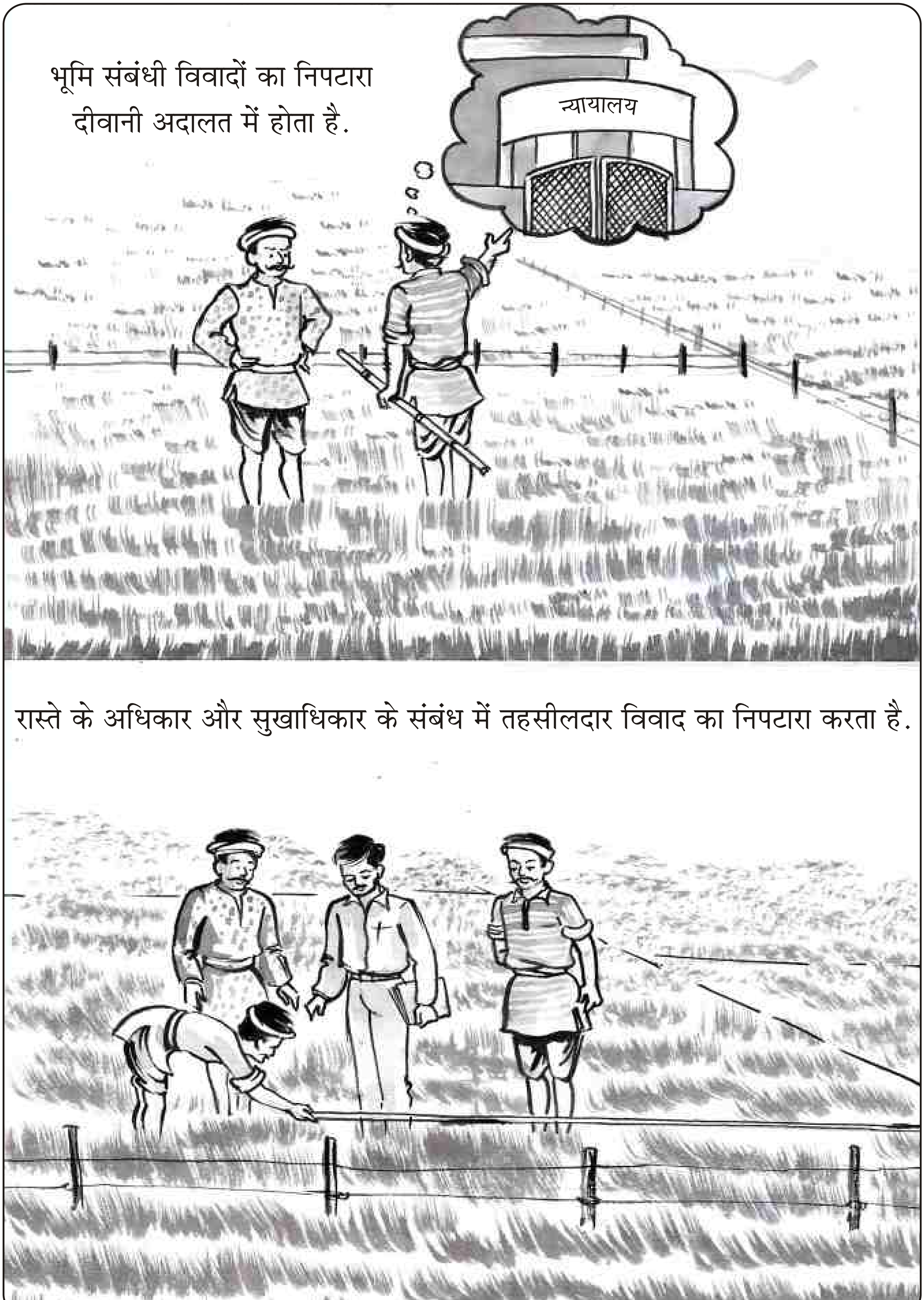
भूमि संबंधी विवादों का निपटारा दीवानी अदालत में होता है.
न्यायालय
रास्ते के अधिकार और सुखाधिकार के संबंध में तहसीलदार विवाद का निपटारा करता है.

शासन के साथ किसान का विवाद होने पर कलेक्टर कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन देते हुये

भू–राजस्व संहिता के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान

तहसील कार्यालय में किसान लगान जमा करते हुये

कृषि भूमि का उपयोग कृषि के लिये ही किया जायेगा जबतक कि उसका डायवर्ज़न न कर दिया गया हो

दखल रहित भूमि पर लगाये गये फलदार पेड़ों के फल का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी पेड़ लगाने वाले परिवार को मिलेगा.

भू-स्वामी द्वारा लगाये गये वृक्षों को बिना अनुमति नहीं काटा जा सकता है
क्या तुमने अपने खेत में लगे पेड़ को काटने की अनुमति लेली?

भूमि संबंधी अभिलेख

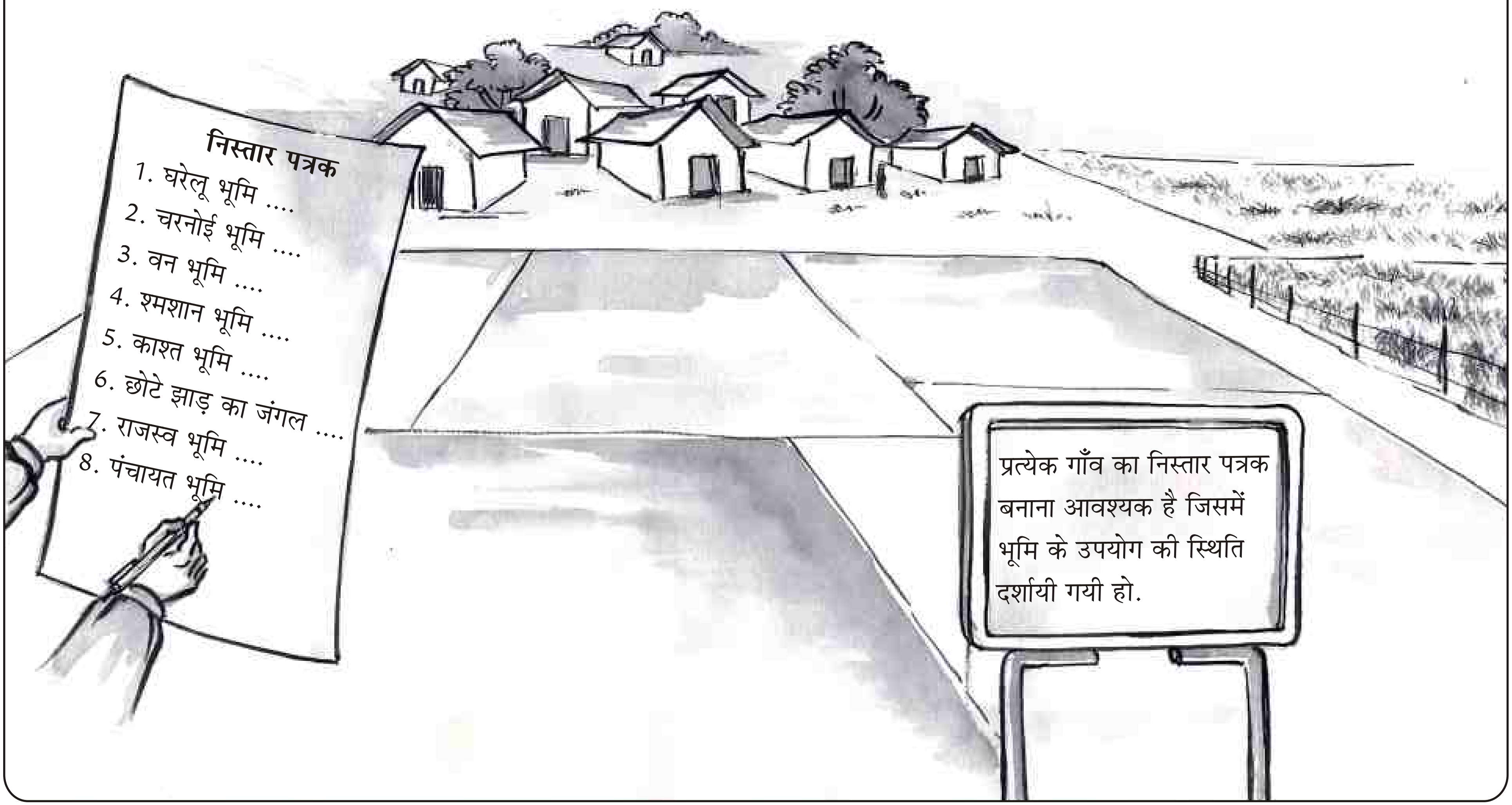
निस्तार पत्रक
1. घरेलू भूमि ....
2. चरनोई भूमि ....
3. वन भूमि ....
4. श्मशान भूमि ....
5. काश्त भूमि ....
6. छोटे झाड़ का जंगल ....
7. राजस्व भूमि ....
8. पंचायत भूमि ....
प्रत्येक गाँव का निस्तार पत्रक बनाना आवश्यक है जिसमें भूमि के उपयोग की स्थिति दर्शायी गयी हो.

तीन भाई आपस में चर्चा करते हुये, बटवारे के लिये राजस्व न्यायालय में जाने को सहमत

दावा अधिकरण

दावा अधिकरण

वाहन दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग होने पर मुआवजा रु. 25000/– मिलता है

Concept: **TAAL Team**
Towards Action And Learning
E4/9, Arera Colony, Bhopal; Ph.: 0755-2422920;
Email: cakhanna@sancharnet.in
Drawings: **Pranav Saxena, Vivek Verma**
Designed & Executed by: **Chitera Information Service**